

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.11(137)/ VS/2019/Power/ 3653

Dated:- 28-11-2019

To

✓ The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Un-Starred Question No.91

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Un-Starred Question No.91 for 03.12.2019 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Encl. As above

Yours faithfully,



(J.S.RANA)

Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या:-91


दिनांक:-03.12.2019

प्रश्नकर्ता का नाम:-श्री एस.के.बग्गा

क्या माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र 0 सं0	प्रश्न	उत्तर
क)	कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में 5,00,000/- रुपये से अधिक की राशि के बिजली बिल कितने उपभोक्ताओं की और देय हैं;	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र के दो उपभोक्ताओं पर 5,00,000/-रु से अधिक देय हैं।
ख)	कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में बी-29, रानी गार्डन, शास्त्री नगर, समीप अम्बेडकर पार्क, दिल्ली-110031 पर Bill No. YMENF271120170008AO Bill 266LR date 27.11.2017 for Rs.3038635/- की पेमेंट व रिकवरी का पूरा ब्यौरा देने का कष्ट करें;	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि उपभोक्ता ने प्रमानेन्ट लोक अदालत ने केस दर्ज किया है। प्रमानेन्ट लोक अदालत-II के दिनांक 03.01.2018 के आदेशानुसार उपभोक्ता के रु400000/-के भुगतान करने पर बिजली का कनेक्शन काटने पर रोक लगी है। इस मामले की अगली तारीख 20.12.2019 है।
ग)	क्या अब तक इस राशि का भुगतान हो चुका है; और	बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि अदालत के आदेश पर उपभोक्ता द्वारा रु400000/- का भुगतान कर दिया गया है।
घ)	यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।



(जे.एस.राणा)
उप-सचिव (उर्जा)

J. S. RANA
Deputy Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi